सं. 21/3/2017-ई.IIबी

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

*****

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केन्द्र सरकार में नियोजित शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को सामान्य से दुगुनी दरों पर परिवहन भत्ता।

इस विभाग में अनेक पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें यह स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्या केन्द्र सरकार में नियोजित शारीरिक रूप से विकलांग ऐसे कर्मचारियों के लिए सामान्य से दुगुनी दर पर परिवहन भत्ता स्वीकार्य है जिन्हें कार्यालय से एक कि.मी. के अंदर सरकारी आवास प्रदान किया गया हैं अथवा जिनका कार्यस्थल एवं आवास एक ही परिसर में है।

2. इस मामले पर इस विभाग में विचार किया गया है और यह स्पष्ट किया जाता है कि केन्द्र सरकार में नियोजित शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारी, 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की दरों के अनुसार परिवहन भत्ता प्रदान किए जाने के संबंध में दिनांक 07.07.2017 के का.ज्ञा.सं. 21/5/2017-ई.II(बी) के पैरा 2(iii) में यथा उल्लिखित सामान्य दरों से दुगुनी दरों पर परिवहन भत्ता + उस पर महंगाई भत्ते के हकदार हैं, चाहे वे ऐसे परिसर में निवास कर रहे हों जिसमें कार्यस्थल एवं आवास है अथवा उनका सरकारी अथवा गैर-सरकारी आवास कार्यालय से एक कि.मी. के अंदर हो।

3. सामान्य दरों से दुगुनी दरों पर परिवहन भत्ते के विनियमन से संबंधित अन्य सभी शर्तें यथावत् रहेंगी।

4. इसे सचिव (व्यय) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

निर्मला देव

(निर्मला देव)

उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग आदि (मानक वितरण सूची के अनुसार)।

प्रतिलिपि: नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और संघ लोक सेवा आयोग आदि (मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार)।